न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.11 / प्रा.पत्र / 2019 (GCMS No. 2019 / 00011)	01.01.2019	17.09.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

स्व. मोत्या पत्नी स्व.धूला, जाति बलाई नि.जावटीखुर्द, तहसील बूंदी
(मृतक जर्ये कायम मुकाम)

1. नाथूलाल आ.घासीलाल जाति मेघवाल नि. जावंटीखुर्द
2. रामप्रकाश आ.घासीलाल जाति मेघवाल नि. जावंटीखुर्द
3. रामलाल आ.घासीलाल जाति मेघवाल नि. जावंटीखुर्द
4. बनवारी आ.घासीलाल जाति मेघवाल नि. जावंटीखुर्द
5. पुष्पा बाई पुत्री घासीलाल जाति मेघवाल नि. जावंटीखुर्द
6. गोरधनी बाई पुत्री घासीलाल पत्नी गणेशराम जाति मेघवाल नि. ग्राम अखेड़, तहसील एवं जिला बून्दी।
7. रामजोत बाई पुत्री घासीलाल पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल नि. ग्राम झालीजी का बराना, तहसील के.पाटन जिला बून्दी
8. मोर बाई पुत्री घासीलाल पत्नी केसरीलाल जाति मेघवाल नि. ग्राम मालीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया मोत्या पत्नी स्व.धूला बलाई को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 281, 463/282, 471/357 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 11/2019 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2019/00011 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीयां मोत्या को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। आवंटन का प्रोसिडिंग रजिस्टर जिला अभिलेखागार से प्राप्त हुआ। आवंटी मोत्या के फोत हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार बून्दी से उसके वारिसान की सूचना तलब की गई। तहसीलदार बून्दी द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.11.2022 से प्रेषित रिपोर्ट मय मौका पर्चा मजमे–आम मौतबिरान में अप्रार्थिया मोत्या बेवा स्व. धूला बलाई निवासी जावटीखुर्द की मृत्यु करीबन 30–35 पूर्व हो जाना एवं उसके वारिसान में कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नहीं होना अंकित किया गया। इसी दौरान नाथूलाल पि0 घासीलाल वगै0 ने दिनांक 04.04.2023 को प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटी मोत्या के वैधानिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु उनको पत्रावली पर पक्षकार के रूप में दर्ज किया जाकर उनकी सुनवाई की गई। हालांकि पत्रावली पर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से अप्रार्थीगण को आवंटी मोत्या के उत्तराधिकारी होने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि उत्तराधिकार निर्धारण का विषय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 281, 463/282, 471/357 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा आवंटी मोत्या पत्नी धूला को दिनांक 04.11.1977 को आवंटन हुई थी, आवंटी मोत्या वर्तमान में आवंटित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। भूमि ख.नं. 281 की किस्म गे.मु.पाल होने से उक्त भूमि आवंटन से प्रतिबंधित श्रेणी की है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति उदा पि. रामनाथ का कब्जा काश्त है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर; बून्दी

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी का स्वर्गीय मोत्या को नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा संभलाया गया था और वह काबिज होकर काश्त करती रही थी। आवंटन के समय मोत्या द्वारा न तो कोई गलत सूचना देकर आवंटन कराया है और न ही गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार मोत्या को किया गया आवंटन पूर्णतया वैधानिक है। आवंटी मोत्या बेवा धूला का लाऔलाद देहान्त हो गया है। मोत्या के पति धूला के सगे भाई शंकर का भी देहान्त हो गया है। शंकर के एक पुत्र घासीलाल था, जिसका भी देहान्त हो चुका है। अप्रार्थीगण उक्त घासीलाल के पुत्र है। स्वर्गीय मोत्या के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि उसके वारिसान के कब्जे में चली आ रही है। खसरा संख्या 281 गे0मु0पहाड नहीं है और न ही आवंटन के समय थी और न ही इस समय है। उक्त नम्बर की भूमि आवंटन के समय सिवायचक भूमि थी। वर्तमान में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी मोत्या के वारिसान अप्रार्थीगण काबिज काश्त होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 18.12.1978 ग्राम जावटी खुर्द के अवलोकन जाहिर आया कि मोत्या पत्नी धूला जाति बलाई को दिनांक 04.11.1977 को भूमि खसरा सं. 281, 463/282, 471/357 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जावटीखुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार भूमि खसरा सं. 281 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा किस्म गे0मु0 पाल, खसरा सं. 463/282 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी–3 एवं खसरा सं. 471/357 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी–3 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा पर अप्रार्थी मोत्या बेवा धूला कौम बलाई गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4(4) पर "आवंटी/ आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है व ख.नं. 281 गे.मु.पाल आवंटन हुई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 01.05.2018 में आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति उदा पि. रामनाथ का कब्जा होना अंकित है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना बताया गया किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। साथ ही आवंटित भूमि खसरा संख्या 281 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा की किस्म गे0मु0 पाल है जो आवंटन से प्रतिबंधित भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है। ऐसे में आवंटी मोत्या को उक्त आराजी खसरा संख्या 281 पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा शेष खसरा संख्या 463/282 एवं 471/357 पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से सम्पूर्ण आवंटन निरस्त किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का किया गया आवंटन विधिविरूद्ध होने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिया मोत्या पत्नी धूला जाति बलाई को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 281, 463/282, 471/357 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम जावटीखुर्द दिनांक 04.11.1977 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी